



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1248

दिनांक :- 07-05-2024

प्रेषक,

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएं
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

विषय :- शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रसारित प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (NCTE) के पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी वेबसाईट पर प्रसारित कर दिये गये हैं उक्त प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी उच्च शिक्षा विभाग एवं विक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

कृपया आप अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला में विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांतों, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1249

दिनांक :- 07-05-2024

प्रतिलिपि :-

समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)


B.ED

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२५

क्रमांक २५१/४२/सी.सी./२४/३८ : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र २०२४-२५ के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (NCTE) के पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं ।

संलग्न:- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत


(वीरन सिंह भिलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक २५०/४२/सी.सी./२४/३८

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२५

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग



उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश : एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम

वर्ष 2024-25

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु)
बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.(द्विवर्षीय), बी.एड.एम.एड.
(एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड.
(चार वर्षीय तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों से संबंधित

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय-आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल भोपाल-462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2554572

E-mail:-mphe.pravesh@mp.gov.in

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी.ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 0755-6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

सत्र 2024-25

अनुक्रमणिका

| क्र. | विषय | उप विषय | पृ.क्र. | |
|------|---|---------|---|-------|
| 1. | प्रस्तावना | 1.1 | सामान्य एवं उद्देश्य | 4-5 |
| | | 1.2 | अधिकार | 5 |
| | | 1.3 | एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों को नाम जोड़ने की कार्यवाही | 5 |
| | | 1.4 | प्रभावशीलता | 6 |
| | | 1.5 | संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन | 6 |
| | | 1.6 | प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी | 7-8 |
| 2 | पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क | 2.1 | सैद्धांतिक योग्यता | 8-9 |
| | | (क) | बी.एड पाठ्यक्रम हेतु | 9-10 |
| | | (ख) | एम.एड पाठ्यक्रम हेतु | 10 |
| | | (ग) | बी.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु | 10 |
| | | (घ) | एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु | 11 |
| | | (ङ) | बी.एड. एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु | 11 |
| | | (च) | बी.ए. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु | 11 |
| | | (छ) | बी.एस.सी. बी.एड पाठ्यक्रम हेतु | 11 |
| | | (ज) | बी.एल.एड पाठ्यक्रम हेतु | 11-12 |
| | | (झ) | बी.एड (अशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु | 12 |
| | | 2.2 | निर्धारित कार्य दिवस | 12 |
| 2.3 | शुल्क | 12 | | |
| 3 | सीटों का आरक्षण | | 13-15 | |
| 4 | आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं दस्तावेजों का सत्यापन | | 15-17 | |
| 5 | मेरिट सूची | | 18 | |
| 6 | ऑनलाइन काउन्सलिंग | | 19 | |
| 7 | सीट आवंटन एवं प्रवेश | | 19-20 | |

| क्र. | विषय | उप विषय | पृ.क्र. |
|------|--|--|---------|
| 8 | प्रवेश का निरस्तीकरण | | 20 |
| 9 | आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण, शुल्क वापसी की प्रक्रिया | | 21 |
| 10 | अन्य प्रक्रिया | | 21-22 |
| 11 | प्रमाण पत्रों के प्रारूप | | |
| | प्रारूप-1 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र | 23 |
| | प्रारूप-2 | मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण पत्र | 24 |
| | प्रारूप-3 (अ) | सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र | 25 |
| | प्रारूप-3 (ब) | मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी | 26 |
| | प्रारूप-3 (स) | भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र | 27 |
| | प्रारूप-4 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र | 28 |
| | प्रारूप-5 | स्व प्रमाणित आय का घोषणा पत्र | 29 |
| | प्रारूप-6 | बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र | 30 |
| | प्रारूप-7 | बाह्य राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र | 31 |
| 12 | परिशिष्ट 1 | बी.एड., बी.एल.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एस.सी.बी.एड., बी.एड.एम.एड.एकीकृत पाठ्यक्रम, बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) तथा एम.एड. हेतु सहायता केन्द्रों | 32-35 |
| 16 | सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ - Frequently Asked Questions) | | 36-37 |



मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (द्विवर्षीय) बी.एड.एम.एड.
(एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. (चार वर्षीय)
तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों के

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 2024-25

1. प्रस्तावना

सत्र 2024-25 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालय/एम.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई बोर्ड/म.प्र. ओपन स्कूल से उत्तीर्ण आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। अर्हताकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर शिगत वर्षों/सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश हेतु प्रावीण्यता के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। शुल्क विनियामक समिति द्वारा आयोजित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया के समय प्रवेशित महाविद्यालय में डिजिटल माध्यम से जम्मा करने की सुविधा है। हेल्प सेक्टर की संख्या 151 है।

1.1 सामान्य एवं उद्देश्य

देश में अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों का विनियमन केंद्रीय अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। चर्तमान में "अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों" के विनियमन के लिए "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014" प्रभावशील है। दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.), शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.), शारीरिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.), शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.), तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड., चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष (सत्र 2024-25) में प्रवेश के लिए प्रवेश-प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से "मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2024-25 जारी किए जाते हैं। इन सिद्धान्तों के अध्यायाधीन उपरोक्त किसी कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियम, अध्यादेश, परिनिष्पन्न एवं निर्देश लागू होंगे, बशर्ते कि राज्य-शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित विषय पर कोई विधिमान्य पृथक निर्देश जारी नहीं किए गए हों। मागगीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सिविल) 276/2012 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 एवं संशोधन दिनांक 28.8.2013 एवं आई.ए.एन.ओ.एन. 113 एवं 114/2014 की सिविल अपील 5914/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.8.2014 के परिप्रेक्ष्य में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्मित एवं व्याख्यायित किया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से संवद्धता प्राप्त प्रदेश के असासकीय महाविद्यालयों, शारीरिक शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण विभागों, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थानों में

संचालित दो वर्षीय बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.- एम.एड., चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थाणों (सीटों) पर प्रवेश के लिए 'एम.पी. ऑनलाइन' के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न होगी। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। किसी भी आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम में ऑफलाइन प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्य एवं प्रामाणिक पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं, जिसके ऑनलाइन सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मेरिट-सूची/समेकित मेरिट-सूची के प्राधीन्य - क्रमांक एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई शिक्षण-संस्थाओं की बरीयता के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। अतः इन कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) को संचालित करने वाली शिक्षण-संस्थाओं का यह समग्र दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक उनकी शिक्षण-संस्था को अपनी व्यक्त की गई बरीयता में उच्च क्रम पर रखें जिससे कि वर्तमान सत्र में उनकी संस्थाओं में पूर्ण आवंटन/प्रवेश हो सके। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या नहीं लेना उनकी अमिर्चि पर निर्भर करता है।

1.2 अधिकार

- (अ) प्रवेश हेतु आवेदकों के बंधन संबंधी नीति निर्धारित करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शासन को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।
- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रवेश-प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को रहेगा।
- (स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक/आयुक्त उच्च शिक्षा को अन्यायवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर आवेदक का निर्णय अंतिम होगा।
- (द) ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

1.3 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों को नाम जोड़ने की कार्यवाही हेतु -

1. प्रत्येक महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होगी।
2. प्रोफाइल बनाने का कार्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व किया जाएगा।
3. प्रोफाइल बनाने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाणीकरण के अप्रुवल की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा की जाएगी।
4. एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता सूची में नाम उपलब्ध होने पर एवं शुल्क विनियामक आयोग की शुल्क सूची में नाम होने पर आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
5. माननीय न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्णयों के लिए भी संबंधित आवेदक महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल दर्ज करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत शेष कार्यवाही नियमानुसार आयुक्त उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी।

1.4 प्रभावशीलता

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मन्यता मानदण्ड तथा कियविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संकल्पता प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में "शिक्षण संस्था" कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.08.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार सत्र 2024-25 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जून, 2024 तथा अकादमिक सत्र प्रारंभ करने की तिथि 01 जुलाई, 2024 निर्धारित है।

1.5 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.बी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) आदि।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं रॉयार आउटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लिखित आरक्षण संबंधी कण्डिका तथा उसकी उप कण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 5438/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ति नहीं होती है तो, तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं संकल्पता प्राप्त सूची में उनके नाम के समस्त महिला महाविद्यालय दर्ज हैं।

OK

1.6 प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी :

प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी—(विस्तृत विवरण पृथक् से संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध है।) संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एप्लेट में दिये गये प्रावधानों के तहत संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2024-25 के लिये निर्धारित शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही ऑनलाइन 'काउंसिलिंग' में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से पृथक् रखा जाएगा।

01 : प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन-एमपी0 ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण तथा महाविद्यालय की करीयता (शुल्क सहित) व्यक्त किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों का सत्यापन -

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अर्हकारी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।
2. आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निर्धारित तिथियों में निर्धारित हेल्प सेंटर, जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय है, (परिशिष्ट-3 एवं 4) में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।
3. आवेदकों को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित हेल्प सेंटर पर भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ मूल दस्तावेजों के आधार पर स्कैन दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कराना होगा। त्रुटिपूर्ण सत्यापित तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित हेल्प सेंटर के द्वारा निरस्त किए जा सकेंगे।

03 : मेरिट सूची का प्रकाशन :

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तिक एवं सी.पी.एड., एम.पी.एड. हेतु बांछित अन्य प्राप्तिकों (क्रमशः कडिका 5.1 एवं 5.2 अनुसार) के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके आवेदकों की मेरिट सूची/ समेकित मेरिट सूची एमपी0 ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

वर्ष 2024-25 में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित है, के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तिकों के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जायेगी तथा अन्तिम प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत उसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा।

04 : एम.पी. ऑनलाइन द्वारा सीट आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीयन एवं करीयता व्यक्त करना।

आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर महाविद्यालय की करीयता चयन करते समय तीन विकल्पों में से एक का चयन करना होगा :-

- (1) गृह जिला
- (2) संभाग
- (3) राज्य

टीप- आवेदक द्वारा प्रत्येक चरण में प्रवेश हेतु संस्थाओं की करीयता व्यक्त करते समय इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

पंजीकृत आवेदकों को गुप्तानुक्रम एवं महाविद्यालय की व्यक्त करीयता के आधार पर मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कट ऑफ की जानकारी के साथ, सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) जारी किये जावेंगे।

- 05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों के हित में प्रवेश शुल्क किरातों में जमा करने की सुविधा प्रदान करते हुए आनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा, गोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क : आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।
- 2.1 शैक्षणिक योग्यता :

| क्र | पाठ्यक्रम | शैक्षणिक योग्यता/पात्रता | टिप्पणियाँ |
|-----|-----------|---|--|
| 1 | बी.एड. | <ul style="list-style-type: none"> स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषय) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) या अन्य समकक्ष परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः तीन एवं चार वर्ष मान्य | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 2 | एम.एड | <ul style="list-style-type: none"> बी.एड/बी.ए. बी.एड/बी.एस.सी.बी.एड/ बी.एल.एड में 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ अथवा डी.एल.एड के साथ स्नातक उपाधि (दोनों) में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 3 | बी.पी.एड | <ul style="list-style-type: none"> किसी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा कम से कम ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई / भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी। अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा किसी विषय में स्नातक डिग्री (शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के साथ) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा स्नातक डिग्री न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी अथवा ए आई यू/आई ओर/एस जी एफ आई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान। अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के साथ | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| | | <p>स्नातक डिग्री अथवा संयोजित संघों/ एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/मास्स सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान। अथवा</p> <ul style="list-style-type: none"> स्नातक डिग्री न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्ति सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक /कोच) | |
| 4 | एम.पी.एड. | <ul style="list-style-type: none"> स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान (बी.एस.सी.) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 5 | बी.एड-एम एड | <ul style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर डिग्री (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषय) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम दो वर्ष मान्य | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 6 | बी.ए-बी.एड. | <ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 7 | बी.एस.सी. बी.एड | <ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 8 | बी.एल.एड | <ul style="list-style-type: none"> हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट |
| 9 | बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) | <ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्णकालिक अध्यापक जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री/विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि/विशेषज्ञता सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। | |

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में) 50 प्रतिशत अंकों के साथ, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तियों को मान्य किया जाएगा, जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

DM

प्रवेश प्रक्रिया— अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी०एड० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु —

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०एड०/बी०ए०बी०एड०/बी०ए०बी०बी०एड०/बी०ए०एड० अथवा डी०एल०एड० के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया — अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम०एड० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ग) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु —

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर- महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। अथवा 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवानिवृत्त आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया— अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्त अंकों में अर्जित वैनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(घ) एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु —



(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया :- एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश, अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक, एवं अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त करीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे।

(ड) **बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-**

(i) प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
चाँछनीय : यह चाँछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(iii) उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया - अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त करीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एड.-एम.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(च) **बी.ए.बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु**

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अन्वर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया - अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त करीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.ए. बी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(छ) **बी.एस्त.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु**

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अन्वर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया - अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त करीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एस्त.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(ज) **बी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु**

मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अन्वर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया - अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त करीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एल.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

dm

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(अ) बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु -

(i) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे। प्रार्थी को उस स्कूल के अध्यक्ष से, जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि/विशेषज्ञता सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, प्रवेश के लिये पात्र है।

(iii) आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख/अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.2 निर्धारित कार्य दिवस :- समस्त पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस होना आवश्यक है। बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. तथा बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश एवं परीक्षा अवधि को छोड़कर यह अवधि न्यूनतम 200 तथा बी.ए.बी.एड. एवं बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिये 250 दिवस और एकीकृत तीन वर्षीय बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु 215 कार्य दिवसों की है।

2.3 शुल्क :-

ऑनलाइन सीट आवंटन उपरान्त शुल्क विनियामक आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि एकमुश्त एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी।

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073/240/सीसी/14/अइतीस, दिनांक 30.06.14 की भंगानुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रुपये 5,000/- (रु. पांच हजार) जमा करेंगे एवं निर्धारित शेष शुल्क का युगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते हैं, परन्तु छात्रपृति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे। शेष राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किश्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सेवारत अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आयुक्त महाविद्यालय हेतु शुल्क विनियामक समिति/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी।

समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वयंसेवक निरस्त हो जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा।

am

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

| संक्र० | श्रेणी | मध्यप्रदेश के मूल निवासी | बाह्य राज्य के निवासी |
|--------|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | अनुसूचित जाति | 16 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 20 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर) | 14 प्रतिशत | 14 प्रतिशत |
| 4 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) | 10 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

नोट: मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13581-227-इएकीस-अ (प्र.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा : सश्री आशिता दूवे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जयलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत वही सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

य- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातियों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशयत प्रत्याशियों के लिये 08 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उन्नती मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों या उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

Om

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

3.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

3.2.3 निःशयताजन (विकलांग) : कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशयताजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.2.4 विधवा/परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

3.3 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.4 संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न - प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)

3.5 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।

- 3.6 तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जाएगा।
- 3.7 तृतीय चरण में ही बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर MOPRO राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जाएगा।
- 3.8 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएं नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जाएगा।

4. आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं दस्तावेजों का सत्यापन :

- 4.1 निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण-पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, फूल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन मूल दस्तावेजों में उल्लिखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में फंजीशन/प्रवेश निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

टीप- आवेदक की अंकसूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, तो मान्यता प्राप्त थोड़ा हारा जारी 10 वीं/11 वीं की अंकसूची में अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाए।

- 4.2 ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
2. न्यूनतम अईकारी परीक्षा की अंक सूची।
3. जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो।
(मार्गदर्शिका की कड़िका क्रमांक 3 का अवलोकन करें।)
4. संवर्ग प्रमाण-पत्र (निःशक्त/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/मूलपूर्व सैनिक/प्रतिरक्षा कर्मचारी/विधवा/परिचयवतता वर्ग आदि), यदि लागू हो तो।
(मार्गदर्शिका की कड़िका क्रमांक 3 का अवलोकन करें।)
5. मूल निवासी प्रमाण-पत्र (मध्यप्रदेश के मूल निवासी/ बाह्य राज्य के मूल निवासी), जो भी लागू हो।
6. आय प्रमाण-पत्र

dh

7. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
 8. अधिभार प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
 9. सेवास्त संस्थान के प्रमुख/अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी.एड - अंशकालीन हेतु)।
- 4.3 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया :
1. पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्प सेंटर) के माध्यम से ऑनलाईन सम्पन्न की जाएगी।
 2. सत्र 2024-26 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सत्यापन की प्रक्रिया हेतु आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फार्म का अपलोड किये गये दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्प सेंटर) के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
 3. आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हो।
 4. एन.सी.टी.ई. के बी.एड. तथा अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों/हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि का सुधार सत्यापन उपरांत नहीं किया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा।
 5. आवेदकों को निम्न दस्तावेजों में जो भी लागू हो उनका ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा -
- अ. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।
 - ब. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची- ऐसे आवेदक जो कि कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा इस आधार पर एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं, की नेट की अंकसूची को मान्य किया जाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए जिससे कि वे प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकें, साथ ही सैट अद्यतन पत्र के साथ प्रवेश के समय मूल अंक सूची का संबंधित सेंटर पर अवलोकन करना अनिवार्य सुनिश्चित किया जाए।
 - स. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) एवं सैनिक, बिकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संघर्ष में आस्क्षण हेतु मान्य प्रमाण-पत्र।
 - द. (i) म0प्र0 स्थानीय निवासी प्रमाणित पत्र
(ii) मह्य राज्य के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/राहसीलवार) द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र
 - इ. न्यूनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) के आवेदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 8 अनुसार (क्रमांक एफ 7-28/2008/आ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 02.11.2017)
 - फ. खेलकूद संबंधी अन्य उल्लेखित प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।


om

4.4 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :

1. ऑनलाइन सत्यापन हेतु शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) आवंटन अनुसार प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को अडनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
2. आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं/ ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
3. आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

4.5 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश :

1. यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
2. संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी।
3. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्यी (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जाएगी।
4. आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं/ ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जाएगा।



5. मेरिट सूची :

5.1

| स.क्र. | विषय | कुल अंक |
|--------|---|------------------|
| 1 | अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक a. 60 प्रतिशत एवं अधिक : 40 अंक b. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम : 30 अंक c. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम : 20 अंक d. 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम : 10 अंक | 40 अंक अधिकतम |
| 2 | स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो। : 20 अंक b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 15 अंक c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो। : 10 अंक d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 07 अंक e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो। : 05 अंक f. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 05 अंक g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो। : 03 अंक | 60 अंक अधिकतम |
| | कुल अधिकतम अंक | 100 अंक |

बोनस अंक निर्धारित श्रेणी में अधिकतम अंक (संबंधित वर्ष) प्राप्त होने वाले में से एक में दिया जाएगा। अधिकतम तीन वर्षों (पृथक-पृथक) में बोनस अंक प्रदान किए जा सकते हैं।

5.2 एम.पी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक प्रदान किये जाएंगे।

इस प्रकार कुल समेकित प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी -

| क्र. | विषय | कुल अंक |
|------|---|------------------|
| 1 | अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक a. 60 प्रतिशत एवं अधिक : 50 अंक b. 55 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम : 40 अंक c. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 55 प्रतिशत से कम : 30 अंक d. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम : 20 अंक | 50 अंक अधिकतम |
| 2 | स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो। : 20 अंक b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 15 अंक c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो। : 10 अंक d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 07 अंक e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो। : 05 अंक f. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 05 अंक g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो। : 03 अंक | 60 अंक अधिकतम |
| | कुल अधिकतम अंक | 110 अंक |

बोनस अंक निर्धारित श्रेणी में अधिकतम अंक (संबंधित वर्ष) प्राप्त होने वाले में से एक में दिया जाएगा। अधिकतम तीन वर्षों (पृथक-पृथक) में बोनस अंक प्रदान किए जा सकते हैं।


6. ऑनलाइन काउंसिलिंग :

- 6.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से भाग्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 6.2 मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्ह आवेदकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0 पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> के माध्यम से पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन हेतु आवेदकों के लिये पोर्टल शुल्क रु. 250/- (रु. दो सौ पचास), एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये रुपये 125/- (रु. एक सौ पच्चीस) देय होगा।
 - प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत आवेदक को अग्निस्वीकृति-पत्रक (Acknowledgement-Smp) जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।
 - प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रत्येक घरणों में यरीयता व्यक्त करते समय रुपये 50/- (पचास) का शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा।
- 6.3 आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -
- आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
 - आवेदक के शहर अथवा गाँव में स्थित इंटरनेट सुविधा से।
 - एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।
- 6.4 पंजीयन हेतु पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -
- इंटरनेट बैंकिंग से।
 - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से।
 - एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।
- आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. द्वारा दी जाएगी किन्तु आवेदक संबंधित तिथियों पर स्वयं भी पोर्टल पर अवश्य चेक करें।
- 6.5 1. आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय बी.एच पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों की यरीयता व्यक्त की जा सकेगी। शेष अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदकों को न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों की यरीयता व्यक्त करना होगा। आवेदकों की यरीयताओं एवं भुणानुक्रम अनुसार तथा आरक्षण का लाभ देते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> पर जारी किये जाएंगे। शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क की कुल राशि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रुपये 5,000/- (रु. पांच हजार) आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक की प्रवेश-प्रक्रिया पूर्ण होगी।

7. सीट आवंटन एवं प्रवेश :

- 7.1 आवेदक एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्म तिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

- 7.2 राज्य शासन के आदेश क्रमांक 988/सीसी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406/आउशि/सम्ब./15 दिनांक 04.08.2015 के तहत स्नातक के आचार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत एवं वि.वि. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ए.टी.के.टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।
- 7.3 सत्र 2024-25 में प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
- 7.4 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा। आवेदक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्थ-विशेष से, बहुत सोच-समझ कर करें, जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित हो सके।
1. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम करीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश लेकर निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को घोषित समय सारणी अनुसार आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया में च्याइस फिलिंग के अवसर से पृथक किया जाएगा।
 2. प्रथम अतिरिक्त चरण आयोजित होने की स्थिति में मध्यप्रदेश के मूलनिवासी तथा राज्य के बाहर के आवेदक तथा विन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित पृथक किए गए आवेदकों को च्याइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा।
 3. तृतीय चरण में प्रथम करीयता के आधार पर सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने तथा प्रवेश लेकर निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को द्वितीय अतिरिक्त चरण में च्याइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा।
 4. अतिरिक्त चरण में प्रथम करीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश लेकर निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को वर्तमान सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा।
 5. द्वितीय एवं अन्य अतिरिक्त चरण आयोजित होने की स्थिति में केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही पंजीयन तथा च्याइस फिलिंग के लिए अवसर प्राप्त होगा।
- 7.4 यदि किन्हीं दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर यष्टि आवेदक को पहले करीयता दी जाएगी।
- 7.5 ऑनलाइन सीट आवंटन/प्रवेश के पश्चात् आवेदक संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आवेदकों को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित हेल्प सेन्टर पर भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ मूल दस्तावेजों के आधार पर स्कैन दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करना होगा।
- वृत्तिपूर्ण सत्यापित तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित हेल्प सेन्टर के द्वारा निरस्त किए जा सकेंगे। आवेदक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय-पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।
8. प्रवेश का निरस्तीकरण:
यदि कोई आवेदक गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी अथवा त्रुटिपूर्ण सत्यापन के कारण प्रवेश पा लेता है अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है या उसके मूल प्रमाण-पत्रों अथवा दस्तावेजों का जाली होने पाया जाता है तब आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जाएगा और आवेदक द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि जमा कर ली जाएगी। ऐसे आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्राधान्यों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह कार्यवाही पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी की जा सकती है।



9. आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण, शुल्क वापसी की प्रक्रिया :

1. प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन की जाएगी।
2. आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन निरस्तीकरण ओ.टी.पी. आधारित होने से प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा।
3. प्रवेश निरस्तीकरण के उपरांत प्रवेश शुल्क की पूर्ण राशि विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन वापस की जाएगी।
4. प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम के चरण की समाप्ति के 30 दिवस तक प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संचालित रहेगी। निर्धारित अवधि के उपरांत प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।
5. प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रत्येक घण्टा के पश्चात् संबंधित महाविद्यालयों को अंतरित किया जाएगा तथा अंतिम चरण की राशि प्रवेश निरस्तीकरण की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात प्रेषित की जाएगी।

प्रवेश निरस्तीकरण के पश्चात् सीट धो रिक्त माना जावेगा और रिक्त सीट ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से अगले घण्टा (यदि आयोजित होता है) की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित की जायेगी।


10. अन्य प्रक्रिया

- 10.1 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो हेल्प सेंटर इसकी लिखित सूचना अविलंब एम.पी. ऑनलाइन और आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को देंगे।
- 10.2 समस्त शिक्षण संस्थाएँ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से छात्रा खुलवायेँगे जिसमें आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल द्वारा तथा प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल रूप से शुल्क का मुद्राण किया जाएगा।
- 10.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन.एलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित स्थितियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। किसी भी तरह की अनिश्चितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 10.4 कंडिका 1.3 में उल्लिखित तिथियों के पश्चात् मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा।
- 10.5 राज्य शासन द्वारा एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के बावजूद कोई भी विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता वर्तमान सत्र के लिये निरस्त नहीं करेंगे। सम्बद्धता निरस्तीकरण का निर्णय आगामी सत्र के लिए लागू होगा।
- 10.6 संबंधित हेल्प सेंटर में एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिये आए आवेदकों के अतिरिक्त प्रवेश प्रक्रिया के लिये अन्य व्यक्तियों का प्रवेश रजिस्ट्रार किया जाए, इस हेतु पुलिस प्रशासन से यथानुसार मदद ली जा सकती है।

dy

10.7 एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो उपर्युक्त सभी मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये। निर्देशों का पालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में प्राचार्य तथा संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


8-4-24

अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय



प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341/342 के अर्धीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम :

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम के नाम निवासी है जो जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 28 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र.-1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कठिका क्रमांक 8 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सबस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

Oh

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

ok

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) के पिता/माता हैं एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक हैं।

- (अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।
अथवा
- (ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर.....
(कार्यालय सील)

eh

प्रारूप-3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(आवेदक का नाम) जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश प्रयत्न आवेदन पत्र वर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती/..... आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय सील

OK

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती (आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में स्थापित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

ok

प्रारूप-5

फोटो
स्व प्रमाणितस्व प्रमाणित आय का घोषणा पत्र
(सादे कागज पर)

मैं आत्मज श्री आयु वर्ष घोषणा

करता/करती हूँ कि-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम में हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
4. गृह सन्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं -
1. 2. 3. 4. 5.
(परिवार से आश्रय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित भाता या पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
7. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
अथवा
8. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र राशि रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की कृदिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या धाँसक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

प्रारूप-6

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari* _____
 Son/daughter* of _____
 of village/town* _____
 in District/Division* _____ of the State/Union
 Territory* _____ belongs to the _____ Caste/ Tribe* which is recognized as a
 Scheduled Caste Scheduled Tribe*
 Under:

- The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
- *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
- *The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
- *The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.
- (As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.)
- *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;
- *The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;
- *The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;
- *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;
- *The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;
- *The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;
- *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;
- *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;
- *The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimathi* _____
 father/mother* of Shri/Shrimathi/Kumari* _____ of
 village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory*
 who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* _____ issued by the _____ dated _____
 Shri/Shrimathi*/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily
 reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of the
 State/Union Territory* of _____

Signature _____
 (With seal of office) State/Union Territory
 Place: _____

Designation _____

Date: _____

Note: The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

** Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92).

ek

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____ Son / Daughter of
Shri / Smt. _____ of Village/Town _____
District / Division _____ In the _____ State belongs to
the _____ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93- BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/96/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the
_____ District / Division of _____ State. This is also to certify that he / she does not
belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of
India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified
vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate / Competent Authority

Seal

NOTE:

- (a) The term "Ordinary" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
 1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 3. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

बी.एड., बी.एल.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एस.सी.बी.एड., बी.एड.एम.एड.एकीकृत पाठ्यक्रम,
बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) तथा एम.एड. हेतु सहायता केन्द्रों की सूची

| List of Help Centres | | | |
|----------------------|-------------|---|---------------|
| S.No. | District | HC NAME | City |
| 1 | Aagar-Malwa | Govt. Nehru P.G. College | Aagar-Malwa |
| 2 | Alirajpur | Govt. College | Jobat |
| 3 | Alirajpur | Govt. College | Alirajpur |
| 4 | Anuppur | Govt. Tulsi Degree College | Anuppur |
| 5 | Anuppur | Govt College | Pushparajgarh |
| 6 | Anuppur | Govt College | Jaithari |
| 7 | Ashok Nagar | Govt. Nehru Degree College | Ashoknagar |
| 8 | Ashok Nagar | Govt Ganesh Shankar Vidyarthi College | Mungawali |
| 9 | Badwani | Govt. P.G .College | Badwani |
| 10 | Badwani | Govt. College | Sendhwa |
| 11 | Badwani | Govt. College | Niwali |
| 12 | Balaghat | Govt. Jatashankar Trivedi College | Balaghat |
| 13 | Balaghat | Govt Kamla Nehru Arts College | Balaghat |
| 14 | Balaghat | Govt. College | Katangi |
| 15 | Balaghat | Govt. College | Kirnapur |
| 16 | Balaghat | Govt. College | Lanji |
| 17 | Balaghat | Govt. College | Waraseoni |
| 18 | Betul | Govt. Jaywanti Haksar P.G .College | Betul |
| 19 | Betul | Govt. College | Athner |
| 20 | Betul | Govt. College | Multai |
| 21 | Betul | Govt. College | Sarni |
| 22 | Bhind | Govt. Girls College | Bhind |
| 23 | Bhind | Govt. M J S P.G .College | Bhind |
| 24 | Bhind | Govt. College | Ater |
| 25 | Bhind | Govt. College | Gohad |
| 26 | Bhind | Govt. College | Lahar |
| 27 | Bhind | Govt. College | Mehgaon |
| 28 | Bhopal | Govt. Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya | Bhopal |
| 29 | Bhopal | Govt. Dr. Shyama Prasad Mukharjee Science & Commerce P.G. College (Old Benzeer) | Bhopal |
| 30 | Bhopal | Govt. Gitanjali Girls P.G .College | Bhopal |
| 31 | Bhopal | Govt. Hamidiya Arts and Commerce College | Bhopal |
| 32 | Bhopal | Govt. M.L.B. Girls College | Bhopal |
| 33 | Bhopal | Govt. P.G .College, Bhel | Bhopal |
| 34 | Bhopal | Govt. Sarojini Naidu Girls P.G .College | Bhopal |
| 35 | Burhanpur | Govt. Jawaharlal Nehru College | Nepanagar |

| | | | |
|----|-------------|---|---------------------------|
| 36 | Burhanpur | Govt. College | Burhanpur |
| 37 | Chhatarpur | Govt. Girls College | Chhatarpur |
| 38 | Chhatarpur | Govt. Maharaja College | Chhatarpur |
| 39 | Chhatarpur | Govt. College | Bijawar |
| 40 | Chhatarpur | Govt. College | Maharajpur |
| 41 | Chhatarpur | Govt. College | Lavkush Nagar (Laundi) |
| 42 | Chhindwara | Govt. P.G. College | Chhindwara |
| 43 | Chhindwara | Govt. College | Pandhurna |
| 44 | Chhindwara | Govt. College | Sausar |
| 45 | Damoh | Govt. P.G. College | Damoh |
| 46 | Damoh | Govt. Kamla Nehru Girls College | Damoh |
| 47 | Datia | Govt. Girls College | Datia |
| 48 | Datia | Govt. P.G. College | Datia |
| 49 | Datia | Govt. College | Indargarh |
| 50 | Datia | Govt. College | Bhander |
| 51 | Dewas | Govt. Krishnarajrao Pawar P.G. College | Dewas |
| 52 | Dewas | Govt. Girls College | Dewas |
| 53 | Dhar | Govt. P.G. College | Dhar |
| 54 | Dhar | Govt. College | Dharanpuri |
| 55 | Dhar | Govt. College | Sardarpur |
| 56 | Dindori | Govt. Chandravijay College | Dindori |
| 57 | Guna | Govt. P.G. College | Guna |
| 58 | Guna | Govt. P.G. College | Binaganj |
| 59 | Guna | Govt. P.G. College | Raghogarh |
| 60 | Gwalior | Govt. Adarsh Science College | Gwalior |
| 61 | Gwalior | Govt. Bhagawat Sahay College | Gwalior |
| 62 | Gwalior | Govt. Kamlaraja Girls P.G. College | Gwalior |
| 63 | Gwalior | Govt. M L B Arts and Commerce College | Gwalior |
| 64 | Gwalior | Govt. Virangna Jhalkari Bai Girls College | Gwalior |
| 65 | Gwalior | Govt. Vrinda Sahay College | Dabra |
| 66 | Harda | Govt. Arts and Commerce College | Harda |
| 67 | Hoshangabad | Govt. Home Science Girls P.G. College | Hoshangabad |
| 68 | Hoshangabad | Govt. Narmada College | Hoshangabad |
| 69 | Hoshangabad | Govt. Mahatma Gandhi Smrati College | Itarsi |
| 70 | Indore | Govt. Girls P.G. College, Moti Tabala | Indore |
| 71 | Indore | Govt. Holkar Science College | Indore |
| 72 | Indore | Govt. Nutan Girls P.G. College, Kilabhawan | Indore |
| 73 | Indore | Shri Atal Bihari Vajpai Govt. Arts and Commerce College | Indore |
| 74 | Indore | Bherulal Patidar Govt P G College | Mhow |
| 75 | Jabalpur | Govt. M H Home Science Girls P.G. College | Jabalpur |
| 76 | Jabalpur | Govt. M K B Arts and Commerce College | Jabalpur |
| 77 | Jabalpur | Govt. Mahakaushal Arts and Commerce College | Jabalpur |

| | | | |
|-----|-------------|---|--------------|
| 78 | Jabalpur | Govt. Science College | Jabalpur |
| 79 | Jabalpur | Govt. College | Majholi |
| 80 | Jabalpur | Govt. College | Panagar |
| 81 | Jabalpur | Govt. Shyam Sunder Agrawal College | Sihora |
| 82 | Jhabua | Govt. Shahid Chandrshekhar P.G .College | Jhabua |
| 83 | Jhabua | Govt. College | Thandla |
| 84 | Katni | Govt. Tilak College | Katni |
| 85 | Khandwa | Govt. Shri Nilkantheshwar P.G .College | Khandwa |
| 86 | Khandwa | Govt Girls College | Khandwa |
| 87 | Khargone | Govt. P.G .College | Khargone |
| 88 | Khargone | Govt. College | Badwaha |
| 89 | Khargone | Govt. College | Kasrawad |
| 90 | Mandla | Govt. Rani Durgawati College | Mandla |
| 91 | Mandsaur | Govt. P.G .College | Mandsaur |
| 92 | Morena | Govt. PG College Morena | Morena |
| 93 | Morena | Govt. Girls College | Morena |
| 94 | Morena | Govt. College | Porsa |
| 95 | Narsinghpur | Govt. P.G .College | Narsinghpur |
| 96 | Narsinghpur | Govt. Shyamsundar Mushran Girls College | Narsinghpur |
| 97 | Neemuch | Swami Vivekanand Govt. P.G .College | Neemuch |
| 98 | Neemuch | Govt. R V College | Manasa |
| 99 | Panna | Govt. Chhatrasal P.G .College | Panna |
| 100 | Panna | Govt. College | Ajaygarh |
| 101 | Raisen | Govt. Swami Vivekanand College | Raisen |
| 102 | Raisen | Raja Bhoj Govt College | Mandideep |
| 103 | Raisen | Govt. College | Obedullaganj |
| 104 | Rajgarh | Govt. College | Rajgarh |
| 105 | Rajgarh | Govt. College | Pachor |
| 106 | Rajgarh | Govt. College | Sarangpur |
| 107 | Ratlam | Govt. Arts and Science P.G .College | Ratlam |
| 108 | Ratlam | Govt. Bhagat singh P G College | Jaora |
| 109 | Rewa | Govt. Girls P.G .College | Rewa |
| 110 | Rewa | Govt. Law College | Rewa |
| 111 | Rewa | Govt. Thakur Ranmat Singh College | Rewa |
| 112 | Rewa | Govt. Swami Vivekanand College | Teonthar |
| 113 | Sagar | Govt. Arts and Commerce College | Sagar |
| 114 | Sagar | Govt. Girls P.G .College | Sagar |
| 115 | Sagar | Govt. P G College | Bina |
| 116 | Sagar | Govt. Nehru College | Deori |
| 117 | Sagar | Govt. College | Dhana |
| 118 | Sagar | Govt. College | Khural |
| 119 | Satna | Govt. Girls College | Satna |
| 120 | Satna | Govt. P.G .College | Satna |

| | | | |
|-----|-----------|---|--------------|
| 121 | Satna | Govt. College | Amarpatan |
| 122 | Satna | Govt. Vivekanand College | Malhar |
| 123 | Satna | Govt. College | Ramnagar |
| 124 | Sehore | Chandra Shekhar Azad Govt. P.G .College | Sehore |
| 125 | Sehore | Govt. College | Ashta |
| 126 | Sehore | Govt. College | Ichhawar |
| 127 | Sehore | Govt. College | Nasrullaganj |
| 128 | Seoni | Govt. P.G .College | Seoni |
| 129 | Seoni | Govt. College | Chhapara |
| 130 | Seoni | Govt. College | Kewlari |
| 131 | Shahdol | Govt. Indira Gandhi College | Shahdol |
| 132 | Shajapur | Govt. Balkrishna Sharma Navin P.G .College | Shajapur |
| 133 | Shajapur | Govt. Jawaharlal Nehru Smrati College | Shujalpur |
| 134 | Sheopur | Govt. College | Sheopur |
| 135 | Sheopur | Govt. College | Vijaypur |
| 136 | Shivpuri | Govt. P.G .College | Shivpuri |
| 137 | Shivpuri | Govt Girls College | Shivpuri |
| 138 | Sidhi | Govt. Sanjay Gandhi Smrati College | Sidhi |
| 139 | Sidhi | Govt. Girls College Sidhi | Sidhi |
| 140 | Singroli | Govt. College | Waidhan |
| 141 | Singroli | Govt Girls College | Singroli |
| 142 | Tikamgarh | Govt. P.G .College | Tikamgarh |
| 143 | Tikamgarh | Govt .Virangana Avanti Bai Girls College | Tikamgarh |
| 144 | Ujjain | Govt. Kalidas Girls College | Ujjain |
| 145 | Ujjain | Govt Madhav Science College | Ujjain |
| 146 | Ujjain | Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidhyalaya, Ujjain | Ujjain |
| 147 | Umariya | Govt. College | Umariya |
| 148 | Vidisha | Govt. Girls College | Vidisha |
| 149 | Vidisha | Govt. Lal Bahadur Shastri College | Sironj |
| 150 | Vidisha | Govt. Sanjay Gandhi Smrati Collage | Ganjbasoda |
| 151 | Raisen | Govt. College | Baroli |

oh

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

- प्रश्न 1.** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कहीं करना होगा ?
- उत्तर** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) हेतु एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल <https://hed.mponline.gov.in> पर विलक करें। इसके पश्चात एन.सी.टी.ई. के आइकन पर विलक कर संबंधित पाठ्यक्रम पर पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी।
- प्रश्न 2.** क्या पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार संभव है ?
- उत्तर** हाँ, पंजीयन आवेदन फार्म में निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार हेतु आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) पर जाकर त्रुटि सुधार करवा सकेंगे।
- प्रश्न 3.** पंजीयन के पश्चात सत्यापन कहीं कराना होगा ?
- उत्तर** पंजीयन आवेदकों को सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्प सेंटर) के माध्यम से ऑनलाइन सम्पन्न की जाएगी।
- प्रश्न 4.** स्नातक अंतिम वर्ष/छठवे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रवीणता हेतु पंजीयन फार्म में यून से प्राप्तांक/प्रतिशत दर्ज करना होगा ?
- उत्तर** अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छठवे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्राक्विक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्राक्विक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।
- प्रश्न 5.** प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?
- उत्तर** प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक Net Banking / Credit Card / Debit Card / UPI के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर क्विबोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेगा।
- प्रश्न 6.** प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में क्या करना होगा ?
- उत्तर** प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन की फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क भुगतान कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।
- प्रश्न 7.** सीट आवंटन न होने की स्थिति में मुझे क्या करना होगा ?
- उत्तर** सीट आवंटित न होने पर आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय-समय पर अगुस्तार पुनःपरीक्षा व्यक्त करना होगा।

प्रश्न 8. प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण एवं शुल्क वापसी की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर: आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन निरस्तीकरण ओटीपी आधारित होने से प्रवेश स्वयंसेव निरस्त हो जाएगा। प्रवेश ऑनलाइन निरस्त होने पर विभागीय पोर्टल के माध्यम प्रवेश शुल्क की पूर्ण राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी।

प्रश्न 9. प्रवेश निरस्त होने के पश्चात प्रवेश शुल्क रिफंड कहाँ होगा ?

उत्तर: प्रवेश निरस्त होने के पश्चात प्रवेश शुल्क का रिफंड उसी खाते में किया जाएगा जिस खाते से आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया होगा।

प्रश्न 10. नी.एल. पाठ्यक्रम हेतु मान्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सिलेबस की होनी चाहिए ?

उत्तर: उसी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्राप्ति को मान्य किया जाएगा जिनकी पाठ्यक्रम अंतिम कक्षा न्यूनतम तीन वर्ष एच बी बी की होनी चाहिए।

(Handwritten signature)

बी.एड., एम.एड. बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय)
बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय)
पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी
(संशोधित)

| कं. | कार्य का विवरण | निर्धारित तिथियाँ | |
|--------------------|---|-------------------|------------|
| | | दिनांक से | दिनांक तक |
| प्रथम चरण | | | |
| 1. | आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन / (वरीयता व्यक्त करना) | 01.05.2024 | 09.05.2024 |
| 2. | निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन | 02.05.2024 | 11.05.2024 |
| 3. | त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन करना | 02.05.2024 | 14.05.2024 |
| 4. | समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन | 15.05.2024 | |
| 5. | मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन | 21.05.2024 | |
| 6. | आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना | 21.05.2024 | 25.05.2024 |
| द्वितीय चरण | | | |
| 1. | (अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे) (ब) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन / वरीयता प्राप्त करना | 21.05.2024 | 28.05.2024 |
| 2. | निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन | 22.05.2024 | |
| 3. | त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना | 22.05.2024 | 30.05.2024 |
| 4. | समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन | 03.06.2024 | |
| 5. | मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन | 09.06.2024 | |
| 6. | आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना | 09.06.2024 | 13.06.2024 |
| तृतीय चरण | | | |
| 1. | (अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे) । (ब) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन / वरीयता प्राप्त करना । | 07.06.2024 | 12.06.2024 |
| 2. | निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन | 08.06.2024 | |
| 3. | त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना | 08.06.2024 | 13.06.2024 |
| 4. | समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन | 18.06.2024 | |
| 5. | मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन | 25.06.2024 | |
| 6. | आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना | 25.06.2024 | 30.06.2024 |

(Handwritten signature)
25/10/24